संख्या– ५५ VI-I/2005–53(खेल)2001

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल विभाग,
देहरादून।

खेल अनुभाग : देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2005

विषयः–अगस्तमुनि रूद्रप्रयाग में निर्माणाधीन स्टेडियम की बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–3688/रू0स्टे0नि0प0/2004–05/दिनांक 14 जनवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्टेडियम की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्राविधानित धनराशि रू0 164.00 लाख (रूपये एक सौ चौसठ लाख मात्र) में से रू0 45.00 लाख के आगणन के सापेक्ष वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित रू0 35.07 लाख के सापेक्ष रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7(ए)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा–खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम(लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुर्वनिधानित योजनाएं–0102–अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स–24–वृहद् निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0–1985/वित्त अनुभाग–2/2005 दिनांक, 30–03–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005–53(खेल)2001, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग।
6– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग।
8– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।